क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी 1, 6, 7, 12 व (4) के कानूनी वारिसान एवं सरकारी पैरोकार प्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा पत्र व संशोधित उनवान हेतु दिनांक 15/07/24 को पेश हो।	
	15/7/24	पत्रावली पेश हुई। पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी स. 1, 6, 7, 12 एवं अप्रार्थी स. 4 के वारिसान के अधिवक्ता हाजिर। मूल वादपत्र मे अप्रार्थी/प्रतिवादी स. 2 तथा 3, 5, 8 तथा 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। संशोधित उनवान पेश हुआ। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सीधे मौखिक बहस की। प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/7/2024 को पेश हो।	
	18/07/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी स. 1, 6, 7, 12 एवं अप्रार्थी स. (4) के वारिसान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस पूर्व मे सुनी गई। दौराने बहस अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि ग्राम तूंगा तह. बूंगा जि. जयपुर स्थित खसरा नं. 624, 625, 626, 627, 628, 629,	

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		630, 631, 632, 638 के संबंध में दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63(1)(5) राज. काश्तकारी अधि. 1955 का न्यायालय में विचाराधीन है भिन्न अप्रार्थी। प्रतिवादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि मे से कुछ हिस्से पर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है एवं ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 मे एक एकड क्षेत्रफल तक संस्थानिक प्रयोजनार्थ यथा विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नही होने का प्रावधान अधिसूचना क्रमांक एफ 6 (26) राजस्व-6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 द्वारा किया गया है। उक्त वादपत्र / प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि शामलाती भूमि है एवं जिसका विभाजन का वाद प्रतिवादी सं. 12 की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमे दिनांक 05/02/2024 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी कर दी गई है जो यह कहते हुये पारित की गई है कि उक्त निर्णय प्रभावित खातेदारो के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरो पर धारा 177 आर.टी. एक्ट 1955 की कार्यवाही जो कि लम्बित

फर्द अहकाम

सरकार बनाम गोपाललाल

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 113/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	है के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। मानवीय न्यायालय के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री में अप्रार्थी/प्रतिवादी के हिस्से में खसरा न. 622, 631/1, 628, 629, 630, 631/2, 628 आये है। लेकिन प्रकरण में उक्त खसरा न. पर स्थगन होने की वजह से विभाजन के आदेश की पालना एवं अपने हिस्से की भूमि का सम्परिवर्तन भी नही करवा पा रहे है अत: प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज फरमाने का निवेदन किया।	
	प्रा॰ पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई।	
	पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत परिपत्र दिनांक 04/01/2017 का अवलोकन करने एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन करने के उपरान्त हम पाते है कि इस न्यायालय उनवानी प्रकरण सावित्रा बनाम बनवारी मु॰ न॰ 249/2022 में दिनांक 05/02/24 को निर्णय व डिक्री पारित की गई है	

(हस्ताक्षर)

फर्द अहकाम

सरकार बनाम गोपाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 113/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		जिसमें प्रतिवादी सं. 1, 4, 6, 7, 12 के हिस्से मे खसरा न. 632, 631/1, 628, 629, 630/1, 631/2, 638 आये है जिनके मूल खसरा न. 632, 631, 628, 629, 630, 638 है एवं तहसीलदार तूंगा की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी के हिस्से की भूमि पर विद्यालय संचालित है जिस पर मौके पर विद्यालय बना हुआ है एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 6 (26) राजस्व-6/2014/33 दिनांक 06/10/2016 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 मे एक एकड़ क्षेत्रफल तक संस्थानिक प्रयोजन यथा विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नही होने का प्रावधान किया गया है। अत: पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर मूल खसरा न. 632, 631, 628, 629, 630, 638 स्थित ग्राम तूंगा तह० तूंगा जि. जयपुर पर दिनांक 08.11.2021 को जारी स्थगन आदेश अपास्त किया (क्रमशः)

फर्द अहकाम

सरकार बनाम गोपाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 113/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		जाता है एवं शेष खसरा नं. 624, 625, 626, 627, स्थित ग्राम तूंगा तह० तूंगा जि. जयपुर पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण खसरा नं. 624, 625, 626, 627 पर तापैसला वाद के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं कच्चा पक्का निर्माण नही करे, ईट भट्टा संचालित नही करे, सड़क नही बनावें, पेड़ नही काटे तथा किसी दीगर व्यक्ति को बेचान व रहन न रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	